मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - मध्य प्रदेश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,

C- Wing, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011

NREGA राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

क्रं. /2469 / एम.आई.एस. / 2008 भोपाल दिनांक 28.08.2008

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला ....(समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला पंचायत..........................(समस्त)

विषयः– एम.आई.एस. के संबंध में दिनांक 30.08.2008 की वीडियो कान्फ्रेंसिंग

कृपया अवगत हो कि , ऑनलाइन एम.आई.एस. रिपोर्ट में निम्नलिखित एलर्ट बिंदुओं को दिखाया जा रहा है जिससें उक्त ग्राम पंचायतों की नकारात्मक छवि प्रदर्शित हो रही है :–

1. जिलेवार ग्राम पंचायतें जिनमें कोई भी पंजीयन अथवा कार्य की मांग प्रदर्शित नहीं हो रही है। (सूची ई–मेल के माध्यम से पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है)
2. एम.आई.एस. ऑनलाइन रिपोर्ट अनुसार बेरोजगारी भत्ते की सूची। (सूची ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है)

भारत सरकार द्वारा 28.08.2008 को नई दिल्ली में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख सचिव म.प्र. शासन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थीं। प्रमुख सचिव उपरोक्त बिंदुओ पर वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहते हैं। अतः आज शाम तक उपरोक्त बिदुओ पर जानकारी ई–मेल rddmp_mis@yahoo.com पर अनिवार्य रूप से भेजें।

वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से एम.आई.एस. की प्रगति की जनपदवार समीक्षा दिनांक 30.08.2008 को दोपहर 2:30 बजे से आयोजित की जायेगी, जिसका एजेंडा संलग्न है। उक्त वीडियो कान्फ्रेसिंग में जिला एवं जनपदों के एम.आई.एस. नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें।

(ए.के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

प्रतिलिपिः–

1. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, विन्ध्याचल भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कृपय उपरोक्तानुसार वीडियो कान्फ्रेसिंग हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(ए.के. सिंह)
संयुक्त आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

VC file